न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–17 / 2016–17

नवल किशोर सिंह बनाम अंचलाधिकारी, बाढ़ एवं अन्य

Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
2/6/18	**आदेश** यह वाद विपक्षी नन्दु लाल राय के नाम से बाढ़ अंचल अंतर्गत मौजा–अचुआरा, थाना नं0 94, खाता नं0 117, 112, 84, 127 खेसरा सं0 1180 रकबा 15.75डी0 के लिए कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु दायर किया गया है। इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है प्रथम पक्ष नवल किशोर सिंह, पिता स्व0 शिव बालक सिंह, ग्राम–अचुआरा, थाना–बाढ़, जिला–पटना द्वितीय पक्ष 1. अंचलाधिकारी, बाढ 2. चन्द्रदेव सिंह, पिता स्व0 शिव बालक सिंह, ग्राम–अचुआरा, थाना–बाढ़, जिला–पटना 3. नन्द लाल राम, पिता स्व0 राम आश्रम राम, ग्राम–अचुआरा, थाना–बाढ़, जिला–पटना इस न्यायालय मे वाद की ग्रविष्टी के उपरान्त नोटिस के पश्चात विपक्षी सं0 3 नन्द लाल राम उपस्थित हुए। विपक्षी सं0 2 चन्द्रदेव सिंह, निबंधित नोटिस के बाद भी उपस्थित नहीं हुए, तब दिनांक 24.04.2017 के दैनिक भास्कर समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करायी गयी। समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन के बाद भी विपक्षी सं0 2 चन्द्रदेव सिंह उपस्थित नहीं हुए। इस परिस्थिति में आवेदक एवं विपक्षी सं0 3 नन्द लाल राय का पक्ष दिनांक 20.06.2018 को सुनकर आदेश पर रखा गया। आवेदक का कहना है कि (1) आवेदक एवं विपक्षी सं0 2 सहोदर भाई हैं। दिनांक 15.02.1980 को पारिवारिक बंटवारा हुआ। उक्त पारिवारिक बंटवारा में एक पक्ष आवेदक एवं उनकी माँ थी जबकि दूसरा पक्ष उनके भाई एवं पिता थे। (2) बंटवारा के पश्चात माँ के ईलाज हेतु पैसे की आवश्यकता हुई तो आवेदक के द्वारा खेसरा सं0 1180 में अपने हिस्से के $4\frac{1}{2}$ कठ्ठा में से 4 कठ्ठे की बिक्री विपक्षी सं0 3 नंद लाल राम से कर दी गयी। (3) बाद में उसी खेसरा के 5 कठ्ठा की बिक्री विपक्षी सं0 2 के	

द्वारा विपक्षी सं0 3 नन्द लाल राम को ही कर दी गयी, जबकि विपक्षी सं0 2 को हिस्से में उक्त खेसरा सं0 1180 का मात्र $4\frac{1}{2}$ कठ्ठा ही मिला था। अर्थात विपक्षी सं0 2 के द्वारा आवेदक के हिस्से के $\frac{1}{2}$ कठ्ठा की बिक्री विपक्षी सं0 3 को कर दी गयी।

(4) विपक्षी सं0 3 के द्वारा अंचल कार्यालय के कर्मियों से मिल कर अपने नाम से 5 कठ्ठा का दाखिल खारिज करा लिया गया, जबकि प्रश्नगत खेसरा का $\frac{1}{2}$ कठ्ठा अभी भी आवेदक के दखल कब्जा में हैं

(5) आवेदक के द्वारा विपक्षी सं0 3 के नाम से मौजा अचुआरा अंतर्गत खाता सं0 117, 112, 84, 127 खेसरा सं0 1180 रकवा 15.75डी0 अर्थात 5 कठ्ठा के लिए कायम जमाबंदी को रद्द करने तथा $\frac{1}{2}$ कठ्ठा भूखण्ड को अपनी जमाबंदी में सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक के द्वारा निम्न कागजात की छाया--प्रति दाखिल की गयी है।

(1) दिनांक 15.02.1980 का बंटवारानामा

(2) शिव बालक सिंह के नाम से निर्गत वर्ष 1983--84 की लगान रसीद

(3) दिनांक 27.11.1986 का केवाला जिससे आवेदक एवं उनकी माँ के द्वारा विपक्षी सं0 3 को खेसरा सं0 1180 रकवा 12.75डी0 बेचा गया।

(4) दिनांक 23.12.1986 का केवाला जिससे विपक्षी सं0 2 एवं उनके पिता के द्वारा विपक्षी सं0 3 को खेसरा सं0 1180 रकवा 15.75 डी0 बेचा गया।

(5) नन्द लाल राम के नाम से निर्गत वर्ष 1989--90 की लगान रसीद

विपक्षी सं0 3 नन्द लाल राम का कहना है कि

(1) आवेदक के द्वारा विपक्षी सं0 3 की किस जमाबंदी को रद्द किया जाना है, इसका कोई वर्णन उनके आवेदन में नहीं है। आवेदन के द्वारा खाता सं0 117, 112, 84 एवं 127 खेसरा सं0 1180 का विवाद लाया गया है, परन्तु एक ही खेसरा सं0 1180 अनेक खातों का अंश नहीं हो सकता है। इस प्रकार आवेदक का आवेदन विचार करने योग्य नहीं है तथा रद्द करने योग्य है।

(2) आवेदक का कहना है कि बंटवारा में खेसरा सं0 1180 का $4\frac{1}{2}$ कठ्ठा उन्हें तथा $4\frac{1}{2}$ कठ्ठा उनके भाई चन्द्रदेव सिंह (विपक्षी सं0 2) को मिला था। आवेदक के द्वारा प्रश्नगत खेसरा की 4 कठ्ठा की बिक्री विपक्षी सं0 3 से की गयी, जबकि उनके भाई (विपक्षी सं0 2) के द्वारा 5 कठ्ठा की बिक्री विपक्षी सं0 3 को कर दी गयी। इस प्रकार विपक्षी सं0 2 के द्वारा

अपने हिस्से से $\frac{1}{2}$ कठ्ठा की अधिक की बिक्री विपक्षी सं0 3 को कर दी गई। आवेदक के द्वारा बंटवारानामा की छाया–प्रति दाखिल की गयी है। उक्त बंटवारानामा के अनुसार प्रश्नगत खेसरा सं0 1180 कहु 12.50डी0 आवेदक एवं उनकी माँ को मिला तथा 12.50 डी0 विपक्षी एवं उनके पिता को हिस्सा में मिला था। आवेदक एवं उनकी माँ ने दिनांक 27.11.1986 के केवाला से प्रश्नगत खेसरा का 12.75डी0 भूखण्ड विपक्षी सं0 3 को बेचा। जब उन्हें हिस्से में मात्र 12.50डी0 भूमि ही मिली थी तो फिर उनके द्वारा 12.75डी0 की बिक्री कैसे कर दी गयी।

(3) विपक्षी सं0 3 खरीदगी के पश्चात भूमि पर शांतिपूर्ण दखल में है। उनके नाम से दाखिल खारिज होकर जमाबंदी कायम है। आवेदक का यह दावा गलत है कि $\frac{1}{2}$डी0 भूखण्ड उनके दखल में है। आवेदक के आवेदन को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं0 3 के द्वारा निम्न कागजात की छाया प्रति दाखिल की गयी है।

(1) दिनांक 15.02.1980 का बटवारानामा

(2) दिनांक 27.11.1986 का केवाला जिसके द्वारा आवेदक एवं उनकी माँ ने 12.75 भूखण्ड की बिक्री की है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात निम्न तथ्य सामने आते हैं।

(1) आवेदक प्रश्नगत खेसरा सं0 1180 का कुल रकबा 9 कठ्ठा जिसमें दोनों भाईयों को साढे चार साढे चार कठ्ठा हिस्सा मिलना बताते है। दिनांक 15.02.1980 के बंटवारानामा के अनुसार उक्त खेसरा 1180 का 12.50डी0 आवेदक एवं उनकी माता तथा 12.50डी0 विपक्षी सं0 2 उनके पिता को मिला था।

(2) दिनांक 27.11.1986 के केवाला से आवेदक एवं उनकी माता के द्वारा प्रश्नगत खेसरा सं0 1180 का 12.75डी0 विपक्षी सं0 3 को बेचा गया। दिनांक 23.12.1986 के केवाला से विपक्षी सं0 2 एवं उनके पिता के द्वारा प्रश्नगत खेसरा सं0 1180 का 15.75डी0 विपक्षी सं0 3 को बेचा गया। इस प्रकार दोनों भाईयो के द्वारा दिनांक 12.05.1980 के बंटवारानामा में प्रश्नगत खेसरा में मिले हिस्से से अधिक भूखण्ड की बिक्री विपक्षी सं0 3 को की गयी।

(3) आवेदक के द्वारा यह नहीं बताया गया कि प्रश्नगत खेसरा सं0 1180 के कुल कितने रकबा के लिए उनकी जमाबंदी कायम थी। ऐसा कोई साक्ष्य उनके द्वारा दाखिल नहीं किया गया है।

(4) आवेदक के द्वारा विपक्षी सं0 3 नंद लाल राम के नाम से निर्गत वर्ष 1989–90 की लगान रसीद की छाया प्रति दाखिल की गयी है। उक्त लगान रसीद पर खाता खेसरा स्पष्ट नहीं है, परन्तु उक्त लगान रसीद ग्राम अनुआरा थाना सं0 94 रकबा 28.50डी0 की है। इससे यह प्रतीत होता

है कि दिनांक 27.11.1986 के केवाला से खरीदी गयी जमीन 12.75डी0 एवं दिनांक 23.12.1986 के केवाला से खरीदी गयी भूमि 15.75 डी0 को मिलाकर कुल 28.50 डी0 की लगान रसीद वर्ष 1989–90 में विपक्षी सं0 3 के नाम से निर्गत की गयी।

(5) आवेदक का यह आरोप स्वीकार योग्य नहीं है कि विपक्षी सं0 3 के द्वारा अवल फसियों को मेल में लेकर अपने नाम से $\frac{1}{2}$ कट्ठा अधिक भूखण्ड की जमाबंदी कायम करा ली गयी, क्योंकि साक्ष्यों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि विपक्षी सं0 3 की जमाबंदी निबंधित डीड के आधार पर कायम की गयी थी। निबंधित डीड के आधार पर कायम जमाबंदी को अवैध नहीं कहा जा सकता।

(6) आवेदक यह चाहते हैं कि बंटवारानामा को आधार मानते हुए विपक्षी सं0 3 की जमाबंदी में $\frac{1}{2}$ कट्ठा जमीन घटा कर उनकी जमाबंदी में सम्मिलित कर दिया जाय। आवेदक का यह अनुरोध स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि

(क) हिस्से का निर्धारण सक्षम व्यवहार न्यायालय से किया जाता है।

(ख) आवेदक स्वंय भी बंटवारानामा में मिले अपने हिस्से से अधिक जमीन की बिक्री विपक्षी सं0 3 को कर चुके है।

(ग) बंटवारानामा से मिले कितने भूखण्ड की जमाबंदी आवेदक के नाम से कायम है, यह आवेदक के द्वारा नहीं बताया गया।

(घ) निबंधित डीड में दर्ज रकबे को राजस्व न्यायालय से नहीं घटाया जा सकता। इसके लिए या तो निबंधित डीड को निबंधन कार्यालय में सुधार कराया जाये अथवा सक्षम व्यवहार न्यायालय में निबंधित डीड को निरस्त कराया जाय।

उपर्युक्त परिस्थिति में मैं यह पाता हूँ कि आवेदक का आवेदन विचार योग्य नहीं है।

आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

25/6/17

(वजैन उदीन अंसारी)
अपर समाहर्ता, पटना

25/6/17

(वजैन उदीन अंसारी)
अपर समाहर्ता, पटना